न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान -

1. रघुवीर पुत्र श्री मातुराम जाति जाट निवासी 10 ए.पी.डी.(ए) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

-प्रार्थी-

बनाम

1. प्रियंका यादव पुत्री खजान चन्द पति साहिल कुमार जाति यादव निवासी वार्ड नं. 5, हाउसिंग बोर्ड, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)।
3. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिखनिवासी 15 बी.एल.डी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

-अप्रार्थीगण-

उपस्थिति - 1. श्री ओम धायल, चन्द्र प्रकाश वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या - 46/2020 **निर्णय दिनांक -27/01/2020**

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 10 ए.पी.डी. (ए) का खाता संख्या 45 प.नं. 245/401 मु.नं. 18 का किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 12 का कुल 3.036 है. रकबा कमाण्ड मय खाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। एवं इसी मुरब्बा के किला नं. 13 ता 20, 21/2, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1 का कुल 3.162 है. रकबा अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी की उक्त भूमि आने जाने के लिए कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी प.नं. 245/401 मु.नं. 18 किला नं. 20 व 21 से पत्थर लाईन के साथ साथ अपनी भूमि में प्रवेश करता है। इसी मुरब्बा में किला नं. 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता है। जो मु.नं. 18 के किला नं. 21 ता 25 में पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रहा है। प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य के लिए आने व जाने, ट्रेक्टर व ऊंट गाड़ा लाने ले जाने व कृषि औजारों को ले जाने के लिए प्रार्थी उपरोक्त प.नं. 245/401 मु.नं. 18 किला नं. 20 व 21 में पत्थर लाईन के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा की तरफ की बट के साथ चिपते हुए रास्ते को उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। इसी रास्ते से प्रार्थी अपने खेत में आता जाता है और अपने वाहनों

लगातार.....2

का भी इसी रास्ता से प्रयोग करता है। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए केवल यही एक रास्ता हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को लगातार धमकी दे रहा है कि मैं तुझे अपनी कृषि भूमि में से ना ही गुजरने दूंगा ना ही कोई रास्ता अपनी कृषि भूमि में से स्वीकृत करवाने दूंगा। मैं अपनी कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेच रहा हूँ। जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 20/08/2020 को गांव के मौतबीरान व्यक्तियों को साथ लेकर एक पंचायत की और अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त रास्ता बन्द नहीं करने का कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायत के समक्ष उक्त चालू रास्ता को बन्द करने की धमकी दी और पंचायत की बात मानने से स्पष्ट इन्कार कर दिया और अपनी कृषि भूमि को शीघ्र ही किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की धमकी देने लगा। प्रार्थी अपनी इस उक्त वर्णित भूमि में आने जाने एवं कृषि औजारो को लाने ले जाने के लिए प्रार्थी की जमीन के साथ चिपते अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि जिसकी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना है, में एक-एक बिस्वा रास्ता मन्जुर करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त रास्ता में आई भूमि के बदले प्रतिफल अदा करने के लिए तैयार है। उक्त रास्ता की प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए आवश्यकता है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषिभूमि को सही रूप से काश्त कर सकेगा आदि का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी की कृषि भूमि के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 10 ए.पी.डी.(ए) का खाता संख्या 45 प.नं. 245/401 मु.नं. 18 का किला नं. 20, 21 के पत्थर लाईन के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा की तरफ की बट के साथ चिपते हुए 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता तक स्वीकृत करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पैरोकार राज ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी को परम आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए है। उक्त जोत तक पहुचने के लिए अन्य कोई निकटतम व सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण दर्ज होने की दिनांक 25/08/2020 से दिनांक 12/11/2020 तक इसी मुरब्बा के किला नं. 20, 21 में मुरब्बा लाईन के साथ साथ 1-1 बिस्वा रास्ता का उपयोग करता आ रहा था। जिससे अप्रार्थी सुरेन्द्र सिंह ने दिनांक 13/11/2020 को जुताई कर फसल की बुवाई कर दी। प्रार्थी को उक्त चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई न्यूनतम व निकतक विकल्प नहीं है क्योकि इसी प.नं. 245/401(18) के किला नं. 21 ता 25 में 2-2 बिस्वा गै.मु. रास्ता मंजुर शुदा व मौका पर चालू है। रिपोर्ट में दर्शाये लघुतम मार्ग को स्वीकृत करने पर खाला, खड़े वृक्ष आदि को कोई नुकसान नहीं है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा गेंहू की फसल की बुवाई की है। रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि प.नं. 245/401(18) किला नं. 20, 21 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सुरेन्द्र सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है जो कि अप्रार्थी द्वारा प्रियंका यादव द्वारा बेचान किया गया है। मौके चाहे गये रास्ता की भूमि पर फसल काश्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी जोत तक पहुंचने के लिए सम्पूर्ण रास्ता खातेदार सुरेन्द्र सिंह की भूमि में से होकर जाता है। सम्पूर्ण रास्ता अथवा इसका कोई भाग राजकीय भूमि/चारागाह से होकर नहीं गुजरता है। उक्त प.नं. 245/401(18) किला नं. 20, 21 के मुरब्बा लाईन के साथ-साथ 1-1 बिस्वा पर बट के चिपता रास्ता पर यथास्थिति का स्थगन है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
विजयनगर

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी के रकबा के लिए कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थी के रकबा के निकटतम एवं सबसे छोटा रास्ता है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता को रास्ता आम के रूप में स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाकर चक 10 ए.पी.डी.(ए) का खाता संख्या 45 प.नं. 245/401 मु.नं. 18 का किला नं. 20, 21 के पत्थर लाईन के साथ साथ उतर से दक्षिण दिशा की तरफ की बट के साथ चिपते हुए 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता तक स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी रघुवीर सिंह किला जात संख्या 20 के मध्य चल रही सिंचाई सुविधा हेतु आन्तरिक आड (खाला) के ऊपर अपने खर्चा पर पुलिया का निर्माण करेगा। अप्रार्थी की सिंचाई सुविधा को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं करेगा। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि यदि सिंचाई विभाग इस सम्बन्ध में सिंचाई हेतु अन्य कोई आदेश पारित करता है या चल रही आड़ में कोई परिर्वतन करता है तो अप्रार्थी को पुलिया के सन्दर्भ में कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रार्थी रास्ते में आई भूमि के बदले मे अप्रार्थी संख्या 3 को चक की वर्तमान डी. एल.सी. दर से दोगुणा राशि देगा। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त रास्ते में आदेशानुसार पारित होने वाली भूमि की भली भांति पैमाईश की जाकर उक्त आदेशानुसार रास्ते की भूमि का मौके पर चिन्हीकरण करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का अमलदरामद किया जावे यदि मौका पर रास्ते की भूमि पर फसल विजान है तो प्रार्थी से फसल का उचित मुआवजा अप्रार्थी को दिलवाया जाकर रास्ता चालू करवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका विश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

जिला कलक्टर
श्रीविजयनगर